

36



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH प्रन्यास विलेख

G 754540

इस न्यासपत्र की घोषणा दिनांक 27.07.2009 को सलमान अली पुत्र श्री मुनकाद अली निवासी कस्बा व डाक किठौर, गढ़ रोड, मेरठ (उ० प्र०) जिसे आगे संस्थापक/प्रथम पक्ष कहा गया है तथा फरमान अली पुत्र श्री मुनकाद अली निवासी कस्बा व डाक किठौर, जिला मेरठ व नफीस अहमद पुत्र ताहिर अहमद निवासी ग्राम व डाक बहेड़ी जिला मुजफ्फरनगर व अब्बास अली पुत्र श्री रियासत अली निवासी ग्राम व डाक ललियाना जिला मेरठ व माजिद अली पुत्र श्री शौकत अली निवासी कस्बा व डाक किठौर जिला मेरठ जिन्हें आगे ट्रस्टी/द्वितीय पक्ष कहा गया है के द्वारा की गयी है। जिसमें न्यासपत्र के निष्पारक एवं उनके वरिष्ठ सम्मिलित हैं।

जो कि संस्थापक काफी समय से उच्चकोटि की आर्थिक तौर पर सहनीय शिक्षा जरूरतमंदों के लिये चिकित्सा एवं सामाजिक आर्थिक सहयोग देने की जरूरत महसूस कर रहा था। अतः इस नेक काम के लिये "आर० के० मैमोरियल ट्रस्ट" की घोषणा की जाती है।

Hamin' can' Jamil-ali Najeeb Ahmed सलमान अली मुनकाद अली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 754541

जो कि ट्रस्ट के सफल व कुशल संचालन के लिये ट्रस्टीज ने ट्रस्टीज बनना एवं ट्रस्ट को चलाने की विश्वसनीय सहमति दे दी है।

अतः न्यासपत्र निम्न तथ्यों एवं नियमों को प्रतिवादित करता है:-

1. यह कि ट्रस्ट का नाम "रेहाना खातून मैमोरियल ट्रस्ट" अर्थात् "आर0 के0 मैमोरियल ट्रस्ट" होगा।
2. यह कि संस्थापक 51,000/- रुपये नकद ट्रस्ट को उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देता है। जिनसे संस्थापक का कोई मतलब वास्ता नहीं होगा।
3. ट्रस्ट फन्ड के रूप में संस्थापक द्वारा प्रदत्त रकम तथा ट्रस्ट को प्राप्त सभी चल एवं अचल सम्पत्तियाँ, दान व अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्ति एवं सम्पत्ति चाहे वह नकद हो या अन्य प्रकार से हो ट्रस्ट का फन्ड मानी जायेगी तथा ट्रस्ट का फन्ड होगी। परन्तु दान से प्राप्त रकम आय नहीं मानी जायेगी। ट्रस्ट फन्ड को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जायेगा।

Hamman (वाग)

Tamir Ali

Nagrees Ahmed हाबाला करी भाईदर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

U 278569

4. ट्रस्ट का कार्यालय— ट्रस्ट का कार्यालय कस्बा व डाक किठौर जिला मेरठ में स्थित श्री मुनकाद अली का निवास होगा जिसे आवश्यकता होने पर भारतवर्ष में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा। भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त तथा विश्व के किसी भी देश में ट्रस्ट के शाखा कार्यालय स्थापित किये जा सकते है।
5. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र— ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र मुख्यतः समस्त भारत देश होगा। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में भी भारतीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य किया जा सकता है।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यः— इस ट्रस्ट की घोषणा भारत व उसके बाहर समाज सेवा के लिये अन्य उद्देश्यों सहित निम्न उद्देश्यों के साथ की जाती है—
 - (i) कामर्स, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, कम्प्यूटर साईंस, तकनीकी प्रोफेशनल, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को सहायता व बढावा देना।

(समस्त)

JamNale

Najees Ahmad

